

Form No. INC-26(Pursuant to Rule 30 of the Companies
(Incorporation) Rules, 2014)Before the Central Government, Regional
Director, Northern Region, New DelhiIn the matter of sub-section (4) of Section 13 of
Companies Act, 2013 and clause (a) of
sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies
(Incorporation) Rules, 2014**AND**In the matter of
GENSOL ENGINEERING LIMITED
(CIN: L74210CH2012PLC034105)having its Registered Office at
SCO: 156-157 Sector 9C, Madhya Marg,
Chandigarh-160031

.....Applicant Company / Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on **Thursday, 30th September, 2021** to enable the company to change its Registered Office from "Union Territory of Chandigarh" to the "State of Gujarat".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days (14) from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-

SCO: 156-157 Sector 9C, Madhya Marg,
Chandigarh-160031For & on behalf of
GENSOL ENGINEERING LIMITED

Sd/-

ANMOL SINGH JAGGI

(MANAGING DIRECTOR)

DIN : 01293305

Date : 05.10.2021

Place : Chandigarh

प्रलेप संख्या आईएनसी-26	
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसारण में]	
के न्दीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में और	
जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (CIN: L74210CH2012PLC034105) जिसका पंजीकृत कार्यालय: एससीओ: 156-157 सैक्टर 9सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160031 में है, के मामले में	
...आवेदक कंपनी / व्यविचारकों एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी के न्दीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़" से "मुजरात राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए बहस्तिवार, 30 अक्टूबर 2021 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में पारित विशेष सकल के सदन में कंपनी के सभाम ज्ञापन में सशाधन की पुष्टि की मांग की गई है।	
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रलूब फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शाखा पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विवर का कारण उल्लिखित हो, के साथ उपनी आवारे क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से छोड़ (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दुसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।	
एससीओ: 156-157 सैक्टर 9सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160031	
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड हस्ता / अनमोल सिंह जग्नी (प्रबंध निदेशक)	
दिनांक: 05.10.2021 स्थान: चंडीगढ़ डीआईएन: 01293305	